न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/36/2021	2021/163	08.10.2021	15.07.2025

1.बचन कौर पुत्री स्व0 हरनाम सिंह पत्नी श्री निरंजन सिंह निवासी जाहरखेडा तहसील व जिला अलवर राज0।
2.हरबंश कौर उर्फ रत्तो पुत्री स्व0 हरनाम सिंह पत्नी सतवन्त सिंह उर्फ बल्लू जाति सिख निवासी हाल ग्राम झारेडा, गोविंदगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1.तहसीलदार गोविंदगढ हाल लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0।
2.सतपाल सिंह पुत्र सिगरा सिंह जाति सिख,
3.जागीर सिंह पुत्र श्री सन्तमोहन सिंह जाति सिख,
निवासीयान बन्धेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल तहसील गोविंदगढ़, जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लछमनगढ जिला अलवर राज० दिनांक 30.04.1985 पट्टा संख्या 16 जिसके द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ द्वारा नामान्तकरण संख्या 54 वाके ग्राम –बधेड़ी सब तहसील गोविंदगढ़ जिला अलवर राज० स्वीकृत किया गया, को किये जाने निरस्त।

उपस्थितः–
01.श्री शकूर खान –वकील अपीलाण्ट्स
02.श्री संजीव जैन –वकील रेस्पोडेंट्स संख्या 02

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दिनांक 30.04.1985 पट्टा संख्या 16 जिसके अधार पर रेस्पो0 के पक्ष में नायब तहसीलदार गोविंदगढ द्वारा खातेदारी इंतकाल मृतक देशा सिंह पुत्र स्व0 हरनाम नि0 बंधेडी के हक में इंतकाल सं. 54 स्वीकृत किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बरान 61 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 62 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 65 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 68 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 69 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, 70 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, 71 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 85 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 91 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, 187 रकबा 13 विस्वा कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम बघेड़ी सब तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में है। उक्त आराजी अपीलार्थीगण के पिता तथा मृतक देशा सिंह के पिता स्वर्गीय हरनाम सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति सिख को अलोट राज्य सरकार द्वारा की गयी थी। हमारे पिता हरनाम सिंह का स्वर्गवास इसी दौरान हो जाने पर तथा हम अपीलार्थीगण विवाहित हो जाने के कारण हम अपने ससुराल मे पति व बच्चो के साथ रहने के कारण हम अपीलार्थीगण के भाई मृतक देशा सिंह ने हम अपीलार्थीगण से छिपाते हुए हमारे पिता को आवंटित उक्त वादग्रस्त आराजीयात का खातेदारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.4.1985 को प्राप्त करते हुए खातेदारी का इंतकाल संख्या 54 दिनांक 7.6.85 को नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ़ से

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

तस्दीक करा लिया और अपने जीवन काल मे उसके आधार पर उक्त आराजी मुतनाजा को जर्ये अन्तरण दस्तावेज रेस्पाडेन्टान को नुमायशी अन्तरण बिला अधिकार, बिला कब्जा वो बिला प्रतिफल कर दिया गया। जिसकी जानकारी हम अपीलार्थीगण को कभी नही थी। अब दिनांक 1.7.2015 को रेस्पाडेन्टान में हम अपीलार्थीगण की आराजी मे कब्जे काश्त मे रूकावट वो मजाहमत पैदा करने पर तथा हमे हमारे हिस्से की आराजी से बेदखल करने का प्रयास करने पर तथा रेस्पाडेन्टान के द्वारा यह कहने पर ही उक्त जमीन उन्होने राजस्व रेकोर्ड मे अपने नाम दर्ज करवा ली है। जिस पर हम अपीलार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी की नकले प्राप्त की तथा उक्त आराजी मुतनाजा रेस्पाडेन्टान के नाम किसी प्रकार राजस्व अभिलेख मे अमल हुई इसकी जानकारी राजस्व रेकोर्ड का अवलोकन कर विवादित पट्टा इत्यादि की प्राप्त करने पर हुई। कि मृतक देशा सिंह ने बाला बाला अपीलार्थीगण का नाम छिपाया जाकर उक्त आराजी का खातेदारी आदेश दिनांक 30.04.1985 के सनद पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.04. 1985 तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा जारी होना पाया गया तथा पट्टे के आदेश की अपील हेतु कानूनी सलाह प्राप्त हुई। जिससे उक्त आदेश तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ दिनांक 30.04.1985 पट्टा संख्या 16 से व्यक्ति होकर यह अपील निम्न उजात के साथ पेश है :–

उक्त विवादित आदेश तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ का है जिसके विरूद्ध अपील को सुनने का न्यायक्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है। दिनांक 1.7.2015 को रेस्पाडेन्टान मे हम अपीलार्थीगण की आराजी मे कब्जे काश्त में रूकावट वो मजाहमत पैदा करने पर तथा हमे हमारे हिस्से की आराजी से बेदखल करने का प्रयास करने पर तथा रेस्पाडेन्टान के द्वारा यह कहने पर ही उक्त जमीन उन्होने राजस्व रेकोर्ड मे अपने नाम दर्ज करवा ली है। जिस पर हम अपीलार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी की नकले प्राप्त की तथा उक्त आराजी मुतनाजा रेस्पाडेन्टान के नाम किसी प्रकार राजस्व अभिलेख मे अमल हुई इसकी जानकारी राजस्व रेकोर्ड का अवलोकन कर विवादित पट्टा इत्यादि की प्राप्त करने पर हुई । कि मृतक देशा सिंह ने बाला बाला अपीलार्थीगण का नाम छिपाया जाकर उक्त आराजी का खातेदारी आदेश दिनांक 04.1985 के सनद पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.04.1985 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा जारी होना पाया गया तथा पट्टे के आदेश की अपील हेतु कानूनी सलाह प्राप्त हुई। जिससे उक्त आदेश तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ दिनांक 30.04.1985 पट्टा संख्या 16 से व्यक्ति होकर यह अपील पेश की जा रही है। जो अपील अन्दर मियाद पेश है। फिर भी जो समय दिनांक 30.04.1985 से आज दिन तक का विवादित इंतकाल की जानकारी के अभाव में व्यतीत हुआ है वह काबिले कन्डोन है। कि जिस हेतु पृथक से आवेदन पत्र पेश है।

उक्त विवादित आदेश खिलाफ कानून, खिलाफ इंसाफ पारीत किया गया है। उक्त विवादित आदेश एक पक्षीय, प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत पारीत किया गया है जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है। अधिनस्थ अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश पारीत करने से पूर्व मृतक हरनाम सिंह के वारिसान की जांच कर करनी चाहिए थी। पटवारी हल्का से वारिसान की रिपोर्ट तलब करवानी चाहिए थी। लेकिन अधिनस्थ अदालत द्वारा ऐसा नही किया गया और उक्त विवादित आदेश गलत तरीक पर पारीत किया गया है। अधिनस्थ अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश पारीत करने से पूर्व उजारी नोटिस जारी करने चाहिए थें। अधिनस्थ अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश पारीत करने से पूर्व अपीलार्थीगण को तलब करना चाहिए था। उक्त विवादित आराजीयात की बाबत अपीलार्थीगण द्वारा मृतक देशा सिंह के हक में कोई रिलीज डीड उक्त वादग्रस्त आराजीयात की बाबत तहरीर वो तकमील नही की गई और ना ही मृतक देशा सिंह ने कोई रिलीज डीड वक्त पट्टा आदेश प्राप्ति अधिनस्थ अदालत के समक्ष पेश की गई। वक्त प्राप्त करने पट्टा आदेश दिनांक 30.04.1985 पट्टा संख्या 16 हरनाम सिंह मृतक देशा सिंह द्वारा वारिसान की गलत इत्तला दी गई और बाला बाला अधिनस्थ अदालत से उक्त विवादित पट्टा आदेश खातेदारी प्राप्त कर लिया। चूंकि उक्त आराजीयात मृतक हरनाम सिंह की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

कब्जे काश्त गैर खातेदारी की आराजीयात है ओर मिन अपीलार्थीगण हरनाम सिंह की पुत्री है। कि जिससे उनके स्वर्गवास होने के पश्चात विधिक रूप से मिन अपीलार्थीगण का 2/3 हिस्सा जन्म जात से प्राप्त है। मिन अपीलार्थीगण के 2/3 हिस्सा को रेस्पाडेन्ट द्वारा हड़प करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नही होता है। जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है ।

अतः अपील अपीलार्थीगण पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर विवादित पट्टा आदेश दिनांक 30.04.1985 तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ पट्टा संख्या–16 अपास्त फरमाया जावें। पश्चातवर्ती राजस्व रिकोर्ड को कलमजन किये जाने की आज्ञा पारित की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

रेस्पाडेन्ट संख्या 2 द्वारा लिखित बहस पेश की जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

उक्त अनुवानी अपील विरूद्ध तहसीलदार लक्ष्मनगढ बाबत पटटा संख्या 16 दिनांक 30/04/1985 हाल खसरा नम्बर 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 85, 91, 187, कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बन्धेडी हाल तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से सोची समझी सुनियोजित योजना के तहत भविष्य में बेजा लाभ प्राप्त करने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से पट्टा जारी होने के 30 वर्ष गुजर जाने के पश्चात मूल पट्टाधारी हरनामसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जर्ये देशासिंह के विधिक वारिसान सुखदेवसिंह उर्फ सुक्खा, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, शम्मासिंह, हरदेवसिंह पुत्रान देशासिंह व गीतोकौर, परमजीत कौर, अमरजीत कौर पुत्रीयान देशासिंह द्वारा अपीलाण्टान अजनबी, गैरकाबिज, गैरस्वामित्वधारी व्यक्तियों से साजबाज होकर मिन अपीलाण्टान व राजस्व रिकार्ड में वर्णित अन्य सद्भावी केतागण को सदोष हानि पहुंचाने व अपने आप को सदोष लाभ पहुँचानें की मंशा से आधारहीन, मिथ्या कथनो के आधार पर प्रस्तुत की गयी है।

प्रश्नगत पट्टे की अपील मेंवर्णित आराजी मुतनाजा जागीर सिंह पुत्र संतमोहन सिंह, कुन्दनसिंह पुत्र ज्वाला सिंह, सतपाल सिंह पुत्र सिंगारा सिंह इत्यादि व्यक्तियों को सन् 1987 से के समय ही विकय कर दी गई थी। तत्पश्चात उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा समय समय पर आशा चौधरी पत्नि देवेन्द्र सिंह जाट, सुनीता पत्नि कारोसिंह जाट, प्रहलाद पुत्र बलवीरसिं जाट, रणजीत सिंह पुत्र जागीर सिंह, सुनीता पत्नि कारोसिंह, सतपाल सिंह पुत्र सिंगारा सिंह सिख इत्यादि खातेदार कातश्कारों के नाम समस्त हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। जिन सभी व्यक्तियों को अपीलाण्टान द्वारा देशासिंह के विधिक वारिसान से साजबाज होकर पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया गया हैं। जिस कारण वर्तमान अपील दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पक्षकारों के कुंसयोजन होने के कारण डिफेक्टिव अपील हैं तथा इसी बिन्दु पर प्रारम्भिक स्तर पर खारिज योग्य हैं।

उक्त पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.04.1985 हरनामसिंह मृतक पुत्र सुन्दरसिंह जर्ये श्री देशासिंह पुत्र हरनामसिंह सिख निवासी ग्राम बन्धेडी के पक्ष में जारी किया गया था। तत्पश्चात इन्तकाल संख्या 54, देशा सिंह पुत्र हरनाम सिंह के पक्ष में दिनांक 07–06–1985 को तस्दीक हुआ। तत्पश्चात देशासिंह द्वारा पट्टेशुदा आराजी को समय समय पर मिन रेस्पोडेन्ट व दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दी गई। जिनका अमल दरामद समस्त हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। जिसकी बखूबी जानकारी देशासिंह व उसके विधिक वारिसान व रिश्तेदारों को सन् 1987 से ही रही हैं। इसके अलावा उक्त सभी व्यक्तियों के विरूद्ध एक राजस्व वाद संख्या 1/185/2014 में अनुवानी सतपाल सिंह बनाम मंग्या, बंटी, सतवंत सिंह, हरवंश कौर, बच्चनकौर, निरजनसिह,

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

हरदीपसिंह, कुलदीपसिंह, सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा, प्रेमसिंह उर्फ पम्मा, शम्मा सिंह, हरदेव सिंह, जोगेन्द्र सिंह, बलदेव सिंह, महेन्द्र कौर के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला अलवर में जेरे तजबीज चला आ रहा था। जिसमें भी निर्णय व डिकी दिनांक 21.05.2016 को मिन रेस्पोडेन्ट यानि मिन प्रार्थी सतपाल सिंह के पक्ष में पारित की गई थी। जिस वाद में हरनाम सिंह व देशासिंह के समस्त परिवारजन पक्षकार के रूप में प्रतिवादीगण दर्ज चले आ रहे थे। जिससे भी विदित है कि उक्त सभी लोगों को वर्तमान प्रश्नगत पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.04.1985 व उसके आधार पर तस्दीक इंतकाल संख्या 54 दिनांक 07.06.1985 की बखूबी जानकारी जारी तिथि से ही रही हैं तथा अपीलाण्टान की अपील इंतकाल खारिज हो चुकी हैं। तत्पश्चात वर्तमान अपील विधि विरूद्ध तरीके से मियाद बाहर प्रस्तुत कर दी गई। जिन समस्त तथ्यों से विदित है कि अपीलाण्टान को सनद पट्टे की जानकारी सन् 1985 से ही रही हैं।

अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के चरण संख्या 02 तथा अपील के चरण संख्या 03 में पट्टा संख्या 16 दिनांक 30–04–1985 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01–07–2015 को होना अंकित किया गया है तथा यह कथन किया कि रेस्पोडेण्टान ने हम अपीलाण्ट की आराजी में कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा करने का प्रयास किया। जिसका मिन रेस्पोडेण्ट द्वारा विस्तृत बजुहातो के साथ जबाब मय दस्तावेजी साक्ष्य सही व सत्य व दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। तथा रेस्पोडेण्ट द्वारा यह कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा मीमो ऑफ अपील दफा 05 व स्थगन प्रार्थना पत्र में समस्त कथन असत्य आधारहीन, बेबुनियाद मिथ्या अंकित किये गये है। जबकि अपीलाण्टान को पट्टे की जानकारी जारी तिथि से ही रही हैं। सनद पटटे में वर्णित आराजी की बाबत मिन रेस्पोडेण्ट द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 1/185 दिनांक 19–11–2014 को अनुवानी सतपाल बनाम मंग्या, घण्टी, सतवन्तसिंह, हरवंश कौर, बचन कौर, निरंजन सिंह हरदीप सिंह उर्फ निक्की, कुलदीप सिंह, सुखदेव सिंह उर्फ सक्खा, प्रभुसिंह उर्फ पम्मा, शम्मा, हरदेव सिंह, जोगेन्द्र सिंह, बलदेव सिंह, महेन्द्र कौर इत्यादि के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो वाद मिन वादी रेस्पोडेण्ट के पक्ष में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 21–05–2016 को निर्णय कर डिकी फरमा दिया गया। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर गौर श्रीमान है।

अपील में वर्णित आराजी मुतनाजा का पट्टा संख्या 16 दिनांक 30–04–1985 को जारी होने के पश्चात इसका इन्तकाल संख्या 54, देशा सिंह पुत्र हरनाम सिंह के पक्ष में दिनांक 07–06–1985 को तस्दीक हुआ जिसकी भी अपील अतिरिक्त जिला कलैक्टर प्रथम, अलवर की अदालत में अनुवानी बचन कौर, हरवंश कौर बनाम उप तहसीदार गोविन्दगढ, सतपाल सिंह, जागीर सिंह अपील संख्या 11/41/14 दिनांक 13–10–2014 को प्रस्तुत की गयी। जो अपील भी मिन रेस्पोडेण्ट के पक्ष में गुण–अवगुण के आधार पर दिनांक 01–07–2015 को खारिज फरमा दी गयी। जिसकी भी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिपिली गौर श्रीमान है।

अपीलाण्टान को सनद पटटे की जानकारी सन 2014 से ही रही है। क्योंकि वर्तमान पटटे की अपील से पहले राजस्व वाद (एसडीओ लक्ष्मणगढ) तथा इन्तकाल 54 दिनांक 07–06–1985 अपील (एडीएम प्रथम) अपील गुण–अवगुण के आधार पर निस्तारित कर दी गयी थी। जिनमें कामयाबी ना मिलने पर अपीलाण्ट द्वारा अपने–आप को तथाकथित हरनाम सिंह की पुत्रीयान बताते हुए वर्तमान अपील आधारहीन, मिथ्या कथनो के आधार पर निजी स्वार्थवश मिन रेस्पोडेण्ट व सनद पटटे में वर्णित आराजी के अन्य केतागणों पर दबाब बनाने की मंशा से दायर कर दी गयी। जिनकी प्रतिलिपिया गौर श्रीमान है। सनद पटटा जारी होने के पश्चात पटटे में वर्णित आराजी मुतनाजा काफी दीगर व्यक्तियों को समय–समय पर बेचान कर दी गयी। कालान्तर में इनके बयइन्तकाल समय–समय पर तस्दीक होने जाने पर केतागणों का नाम राजस्व रिकार्ड में विधि अनुसार अंकित होता रहा है। किन्तु अपीलाण्टान द्वारा निजी स्वार्थवश जानबूझकर इन समस्त तथ्यों को छिपाते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान को गुमराह करने की

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

मंशा से आधार हीन मिथ्या कथनों के आधार पर लगभग 30 साल बाद प्रस्तुत दी गयी। जो स्पष्टतः मियाद बाहर है।

पटटे में वर्णित आराजी मुतनाजा के हाल जमाबन्दी सम्वत 2070–2075 के खाता संख्या 12, 102, 34 व 94 वाके ग्राम बन्धेडी पटवार हल्का भैंसडावत हाल तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्व विभाग द्वारा तैयार की गई है जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपी पत्रावली पर पेश है जिनमें आराजी मुतनाजा आशा चौधरी, सुनीता जाट, प्रहलाद जाट, रणजीत जाट, इत्यादि का नाम का अंकन है। जिनको भी अपील में जानबूझकर निजी स्वार्थवश भविष्य में बेजा लाभ प्राप्त करने की मंशा से पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिस कारण पक्षकारों के कूसंयोजन होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज योग्य हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपने आप को हरनाम सिंह की तथा कथित पुत्री होना दर्ज करते हुए बिना किसी राजकीय प्रमाणिक दस्तावे के मिन रेस्पोडेण्ट व अन्य खातेदारो पर दबाब बनाने की मंशा से वर्तमान अपील मिथ्या कथनों के आधार पर दायर की गयी है जो अपील प्रारिम्भक स्तर पर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य हैं।

अपीलाण्टान द्वारा मीमो आफॅ अपील व दफा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त व न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। बल्कि मिथ्या कारण अंकित किया गया है। जबकि उक्त पटटे की अपील से पहले पक्षकारों में राजस्व वाद व इन्तकाल की अपील सक्षम न्यायालयो द्वारा निस्तारित कर दी गयी है। जिससे विदित है कि अपीलाण्ट को पटटे की जानकारी काफी समय पहले से ही रही है। तथा अपीलाण्ट को दफा 05 मियाद अधिनियम में प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्ट व युक्तियुक्त कारण अंकित करना पडेगा। यही विधि की मंशा है तथा इस बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर का भी यही अभिमत रहा है। तथा वर्तमान अपील का निस्तारण करने से पूर्व माननीय न्यायालय को विधि अनुसार दफा 05 मियाद अधिनियम पर अपना आदेश पारित करना चाहिए। यही विधि की मंशा है।

मिन रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील में वर्णित आराजी विभिन्न रजिस्टर्ड विकय पत्रों के आधार पर देशा सिंह पुत्र हरनाम सिंह से सन् 1988 में कय की गयी। जिनका बैइन्तकाल संख्या 83 लगायत 86 दिनांक 25–09–1988 को तस्दील हो गये तब से ही प्रार्थी रेस्पोडेण्ट सदभावी केता की हैसियत से काबिज होकर निरन्तर व बदस्तुर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलाण्ट द्वारा पटटे में वर्णित आराजी की बाबत विभिन्न सक्षम अधिकारियो व न्यायालयो के आदेशों प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उक्त अपील पत्रावली में प्रस्तुत की हुई जो गौर श्रीमान है। जिससे प्रथम दृष्टया ही अपीलाण्ट की दुर्भावना व बदनियति साबित है। तथा उक्त अपील अपीलाण्टान द्वारा जागीर सिंह व देशा सिंह के विधिक वारिसान से मिल्लत कर आधार हीन मिथ्या कथनो के आधार पर केतागणों पर दबाब बनाने की नियत से प्रस्तुत की गयी है। दफा 05 मियाद अधिनियम पर नजीर संलग्न है। 2023 आरबीजे पेज–1, 44 बी पार्ट, 2022 आरबीजे पेज–1, 741, 2016 (1) डीएनजे पेज 201, 2019 आरबीजे (26) पेज 20, 2024 आरबीजे पेज 396 एट अल.। अतः लिखित बहस बाबत प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम मिन रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश कर निवेदन है कि लिखित बहस स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज फरमाये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 54 सनद पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.04.1985 के अनुसार देशासिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह के नाम दर्ज होकर निर्णित हुआ है। जिससे देशासिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। तत्पश्चात देशासिंह द्वारा पट्टेशुदा आराजी के समय–समय पर रेस्पो0 संख्या 02 व 03 को विक्रय किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

प्रश्नगत अपील में अपीलांट का मुख्य अनुतोष यह है कि यह पट्टेशुदा भूमि उनके पिता को आवंटित हुई थी जिसकी वह भी 2/3 भाग की अधिकारी है। अपीलांट का उक्त अनुतोष खातेदारी अधिकारों को विधि में पृथक से सुसंगत उपचार मौजूद हैं। हस्तगत अपील के माध्यम से यह तय किया जाना विधि सम्मत नहीं है। जहां तक इंतकाल संख्या 54 की वैधानिकता का प्रश्न है यह इंतकाल मुताबिक सनद् पट्टा सख्या 16 के दर्ज होकर स्वीकार हुआ है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। यहां अपील में भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत अपील से पूर्व इसी विषयवस्तु (इंतकाल संख्या 54) इस न्यायालय के समकक्ष न्यायालय एडीएम प्रथम अलवर के यहां अपीलांट ने पूर्व में भी चुनौती दी थी जो दिनांक 01.07.2015 को खारिज हो चुकी है। जिससे पूर्व न्याय का सिद्धांत भी लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर